

[Mr. Deputy Speaker]

aside. We do not know whether there was invitation or not. This matter is over. Shri Madhu Limaye.

**SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN :** Can private functions be discussed in this House? That is point. I want a ruling from you on this.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** I have not permitted any discussion.

**SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN :** If it is not permitted, why should the time of the Parliament be wasted on such discussions?

**SHRI MANUBHAI PATEL :** Today Shri Fernandes and myself took lunch together. Was it a party?

श्री सरजू पांडेय : (गाजीपुर) : सिर्फ मिनिस्टर से बयान दिलवा दीजिए कि यह सच है या झूठ है।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : यह सत्य है या असत्य है सुन्ना जे यह बता दें।

**THRI S. M. BANERJEE :** There was a furore in the other House and there members are not directly elected. How is it that we cannot discuss anything here... (Interruptions).

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** Let us take credit that this House behaves with better restraint.

**SHRI S. M. BANERJEE :** This House is much more vigilant, whether it be Shri S. K. Patil or anybody else.

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** Let him not be over-vigilant.

**SHRI S. M. BANERJEE :** It is a shame on the Congress Party.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) :  
उपाध्यक्ष महोदय, वहां दारू भी चली थी।

**SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN :** I never said so. He is unnecessarily creating this controversy...

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** Let him not get involved in it.

**SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN :** I said In which party is he not there? It is just like asking 'Are you beating your wife? You should say 'Yes' or 'No'

**SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr):** For his information I may tell him that he has no wife;

14.11 hrs.

#### MOTIONS RE. CITIZENSHIP (AMENDMENT) RULES

**SHRI MADHU LIMAYE :** (Monghyr) :  
I beg to move :

- (1) "This House resolves that in pursuance of sub-section (4) of section 18 of the Citizenship Act, 1955, the following modifications be made in the Citizenship (Amendment) Rules, 1968, published in the Gazette of India by Notification No. GSR. 2029, dated the 23rd November, 1968 and laid on the Table on the 6th December, 1968, namely :

in rule 2, in Form XIII for 'oath of allegiance', wherever they occur, substitute 'oath of allegiance to the Constitution'.

"This House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution."

- (2) "This House resolves that in pursuance of sub-section (4) of section 18 of the Citizenship Act, 1955, the following modifications be made in the Citizenship (Amendment) Rules 1968, published in the Gazette of India by Notification No. GSR. 2029, dated the 23rd November, 1968 and laid on the Table on the 6th December, 1968, namely :

in rule 2, in Form XIII, after 'established' insert 'uphold the sovereignty and integrity of India'.

This House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution."

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं यह छोटी सी बहस नागरिकता के बारे में उठा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे मंत्री महोदय से यह निवेदन करना है कि आज की हमारी नागरिकता जन्म, नस्ल और पैदाइश पर आधारित है। क्या मंत्री महोदय नई नागरिकता की दिशा में भी विचार करेंगे जिससे दुनिया के किसी भी इन्सान को अगर इस भूमि के बारे में उसके मन में मोहब्बत है, आस्था है, तो यहां आकर बसने और इस मुल्क का नागरिक बनने का अधिकार मिलेगा? यह जो पैदाइश की नागरिकता है, इसके अलावा जमीर की नागरिकता भी हो सकती है। आमा की नागरिकता भी हो सकती है। तो क्या मंत्री महोदय इसके बारे में सोचेंगे और नागरिकता के कानून में इस दृष्टि से जो संशोधन करना आवश्यक है, उपको करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि दो साल पहले स्टालिन की लड़ाई स्वेतलाना का मामला उठा था और उस समय हम लोगों का जो रुख रहा वह भारत की परम्परा के बिल्कुल विरुद्ध रहा। इसलिए आज मंत्री महोदय यहां पर घोषणा करें कि दुनिया में कम से कम यह एक देश ऐसा है, जिसके दरवाजे किसी भी इन्सान के लिए खुले हैं, यदि वह भारत के प्रति मोहब्बत रखता है। इसी दृष्टि से मैंने कहा है कि वर्तमान नियमों में परिवर्तन किया जाय और संविधान के प्रति केवल अपनी वफादारी या निष्ठा व्यक्त करके नहीं, बल्कि इस देश की अक्षुण्णता और सार्वभौमिकता के बारे में वह अपनी वफादारी प्रकट करें। इस देश का नागरिक बने। इस तरह की तरमीम हमारे संविधान में आई है, इसलिए मंत्री महोदय को नियमों के परिवर्तन करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक अर्स से श्री बी० सी० भुवाल नाम के व्यक्ति की

नागरिकता का सवाल मैं उठा रहा हूँ और सरकार के साथ मेरा पत्र-व्यवहार चल रहा है। यह शरूस पूर्वी बंगाल में पैदा हुआ था और उस के बाद 1933 से वह इंग्लिस्तान में रह रहा है। उमने कई बार भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन भारत के हाई कमिश्नर ने, जो लन्डन में हैं, उन को कहा कि आप इंग्लिस्तान की नागरिकता लीजिए। इसके बारे में उन्होंने मुझे पत्र भेजा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा हमारा विदेशी दूतावास है जो भारतीय नस्ल के लोगों को यह सन्नाह देता है कि आप विदेशों की नागरिकता लीजिए। जब मैंने प्रधान मंत्री को इसके बारे में पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि हमारा इस तरह का आग्रह नहीं है, लेकिन अगर वह पासपोर्ट लेकर यहां पर आ जाते हैं और 6 महीने यहां पर रहते हैं, तब उन के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोचेंगे। अब इस शरूस के बारे में दिक्कत यह है कि इसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है और पासपोर्ट के बिना वह इंग्लिस्तान नहीं छोड़ सकता। अब इंग्लिस्तान का पासपोर्ट लेने का मतलब होगा— इंग्लिस्तान की नागरिकता स्वीकार करना। इसलिये मंत्री महोदय कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता मिल सके जो भारत के नागरिक के नाते रहना चाहते हैं और यहां आकर रहना और मरना चाहते हैं। या तो तत्काल उनके रजिस्ट्रेशन करने का काम करें, यदि यह सम्भव नहीं है और आप चाहते हैं कि वह 6 महीने यहां आकर रहे तो उनको एक प्रवेश पत्र दे दें, एन्ट्री-परमिट दे दें।

अब मैं भुवाल साहब के पत्र के एक हिस्से को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। इस व्यक्ति के मन में मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम है कि इंग्लिस्तान में यह व्यक्ति तकरीबन 25000 रु० सालाना पा रहा है, पोस्टमैन के रूप में काम कर रहा है और यह भी जानते हुए कि यहां लौटने पर उस को इतना पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी वह लौटना चाहता है...

एक माननीय सदस्य : इसी मौहब्बत में 35 वर्ष वहां रहे ।

श्री मधु लिमये : वह तो जाना चाहते थे, लेकिन आप उन्हें नहीं आने दे रहे हैं । आप वहां चले जाइये, एक जगह खाली हो जाएगी, उनको आने दीजिये, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है—

"I have to request to you to note that when I come to the United Kingdom in the year 1933, I had no passport and until today I have none. Although my legal status here in London is that of a British subject of Indian origin, I have no nationality and I do not hold any passport, whether British or Indian. Unless I have a passport I cannot under the present conditions leave the United Kingdom to return to India. I am determined not to have British citizenship as I am proud of being an Indian, born in India. I, therefore, request you once again to help me secure an Indian passport. I need not assure you again and again about my keenness to return to India and settle down permanently in my motherland."

नागरिकता को लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है ।

एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आपकी पार्टी ने बट द्वारा कुबूल करके एक बहुत बड़ा पाप किया । उस का नतीजा यह हुआ कि हजारों-लाखों परिवार बट गये ! परिवारों का एक हिस्सा पाकिस्तान में और दूसरा हिस्सा भारत में रहता है । क्या कभी उनका विभाग इस दिशा में भी सोचेगा—जैसा कि 3 जून की माउन्टबेटन योजना कुबूल करनेवाली आपकी ही पार्टी का प्रस्ताव था—उन दिनों में हम भी कांग्रेस में ही थे—उस में यह कहा गया था कि आज जिन्ना साहब द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत चलते होंगे, लेकिन हम द्विराष्ट्रवाद को कुबूल नहीं कर रहे हैं । हमारे सामने हिन्दुस्तान

की जो तस्वीर है, जो नक्शा है, जो पहाड़, नदी सागर और भूगोल ने हमारा मुल्क बनाया है, वह वंसा ही रहेगा और हमारे हृदय पर यह भारत माता की तस्वीर हमेशा विराजमान रहेगी—तो क्या मंत्री महोदय इस बात पर भी सोचेंगे ? बट्टारे का जो पाप उन्होंने किया है, लाखों परिवारों को बरबाद किया है, उसको खत्म करने की दृष्टि से क्या पाकिस्तान के बारे में एक नई नीति वह अपनायेंगे ? असल में, उपाध्यक्ष महोदय, विदेश नीति पर, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर यहां बहस होना चाकिये थी, लेकिन हमको इधर दो साल से मौका ही नहीं मिला । पाकिस्तान में इधर तीन चार महीनों से जो घटनायें हुई हैं, यदि आप उन को देखें तो आपको मालूम होगा कि पूर्वी बंगाल के नेता और संगठन ऐसे आन्दोलन चला रहे हैं जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है, जो अलगाव है, उसको खत्म किया जाय । मैं मंत्री महोदय से इन्सानियत की दृष्टि से अपील करना चाहना हूं कि क्या वह समान नागरिकता के आधार पर सीमित विषयों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में नया रिश्ता कायम करेंगे जैसा हमारे नेता डाक्टर साहब का सपना था—भारत पाक का महासंघ बने और एक नागरिकता हो । उनका सपना था, वह ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें इन्सान को बिना पासपोर्ट लिए, प्रवेश पत्र लिये, बिना बीजा लिये दुनिया के किसी भी भाग में घूमने का, रहने का और जहां चाहे मरने का अधिकार रहना चाहिये । खैर, यह सपना तो बहुत दूर है लेकिन नागरिकता के स्वरूप को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, वह जमीर के ऊपर आधारित नागरिकता की कल्पना को मानकर, केवल नस्ल, पैदायश या जन्म पर नहीं । दूसरी बात यह, भारत और पाकिस्तान में एक नागरिकता कायम करने दृष्टि से प्रयास और तीसरे, डा० लोहिया का जो सपना था उस दृष्टि से आगे कुछ कदम बढ़ाना । आज इस बहस को उठाने का मेरा केवल यही मकसद था कि नागरिकता के

इन पहलुओं के ऊपर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have received a few slips. What I would suggest is, let the Minister reply, and then you can ask for clarification. Otherwise we cannot have a discussion like this. Shri Shukla.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष जी, लिये साहब ने जो संशोधन, नागरिकता कानून के जो नियम बने हैं उसके ऊपर पेश किये हैं उसके सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये और एक दो व्यक्तिगत कुछ ऐसे मामले ये उसके बारे में भी अपनी राय जाहिर की । जहां तक व्यक्तिगत मामलों का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में अभी मैं अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि तथ्य क्या हैं लेकिन उसके बारे में जरूर ध्यान दूंगा जिससे यह देखा जा सके कि कठिनाई को किस तरह से हल किया जा सकता है । एक बात विशेष रूप से यह है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में आकर न रहे तो उसके पहले उसको नागरिकता देने में कठिनाई होती है । इस तरह का कानून संसद के द्वारा पास किया गया है । फिर भी इस सम्बन्ध में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरह से उन व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं जोकि भारत में रहकर और भारत के प्रति वफादार बन कर नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं ।

दूसरे उन्होंने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में और विश्व नागरिकता के सम्बन्ध भी अपने विचार व्यक्त किये जिन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो नहीं सकता है । ये विचार बहुत उत्तम हैं और इन विचारों में सामंजस्य होते हुए भी आज की परिस्थितियों में हम कहां तक क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें विचार करना है । वर्तमान परिस्थितियों में ये बातें बड़ी दूर की लगती हैं पर हम अपना लक्ष्य तो यह मान ही सकते हैं

कि हर एक व्यक्ति को विश्व नागरिकता मिलनी चाहिये और इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन आजकल जैसी परिस्थिति विश्व में है या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में है उसको देखते हुए निकट भविष्य में कोई प्रगति होने की सम्भावना नहीं दिखलाई पड़ती । दो पड़ोसी देशों में जिस प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिये उस प्रकार के सम्बन्ध भी स्थापित करने में और आपस में बातचीत करने में भी कठिनाई होती है । ये बातें तो बहुत दूर की हैं । निकट भविष्य में इनके सम्बन्ध में कुछ हो सकेगा, इसकी सम्भावना आज प्रतीत नहीं होती है । माननीय सदस्य ने यहां पर जो संशोधन पेश किये हैं उनकी जो आत्मा है या उद्देश्य है, उसपर हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मुझे इतना कहना है कि यदि ये संशोधन इस सदन के द्वारा पास भी कर दिये जायं तो भी इन संशोधनों के कारण, इन्होंने शपथ की विधि में जो संशोधन लाने का प्रयत्न किया है वह संशोधन नहीं हो पायेगा क्योंकि जो विधेयक इस सदन के द्वारा पारित किया गया था उसमें ही कुछ ऐसा प्राविधान हुआ है और उसके अनुसार शपथ की एक विधि उसमें निहित की गई है । इसको अगर करना है तो कानून में संशोधन करना होगा । लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब कभी उचित मौके पर इस कानून में संशोधन करेंगे उस समय, माननीय सदस्य ने इस समय जो बातें कहीं हैं उनका पूरा ध्यान रखेंगे और उनको उस संशोधन में भी रखने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि इनमें हमारा विरोध नहीं है इसमें इतना देखा पड़ेगा कि उसका जो टाइटिल है उसको बड़ा किया जाये या छोटा किया जाये । शपथ का जो फार्म है उसमें इन चीजों को जोड़ा जा सकता है इस पर आपत्ति नहीं है लेकिन जब कभी मूल कानून में संशोधन करेंगे, तभी विचार करके इसको जोड़ने का प्रयत्न करेंगे । मैं समझता हूं इस आश्वासन

[ श्री बिद्याचरण शुक्ल ]

के बाद माननीय सदस्य इन संशोधनों को वापिस ले लेंगे।

**SHRI S. KUNDU (Balasore) :** Sir, this is a very important matter. The question is how are we going to implement some of the wishes and desires we have expressed from time to time? For instance, we have said, we must have harmonious relations with the people of Pakistan, with whom we want to develop friendly relations. We have no animosity against them. But I have come across cases where people of Pakistan who want to settle down here in India after years of stay in this country are faced with a lot of difficulties. Yesterday I have written a letter to the Home Minister about an old lady aged 70 years who wants to spend the last years of her life here in India with her daughter. Can you imagine such a person engaging in anti-social activities here? Still her visa is extended only by 15 days or 20 days only. This sort of thing raises ill-will among the people. Therefore, the assurance given by the Minister that this sort of difficulty will not be there is not being implemented and such instances still persist. Giving an assurance and not implementing it is not correct. In our diplomatic relations.....

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** About the individual cases, the Minister has said he will look into the facts. About the substance of the motion, he has assured the House that the Act needs amendment and suitable amendment can be made provided the motion is put forward. On that, if you have a further clarification to seek, you may put a question.

**SHRI S. KUNDU :** You have understood him correctly, Sir. But as I said, there are instances where difficulties still persist and they should be looked into.

There is another matter. In our diplomatic relations, in regard to those countries which do not press for visas for Indian citizens, the Government of India also do not press for visas from the citizens of those countries. As a gesture of goodwill, we can waive visas for a number of countries and welcome people from all over the world. For example, we can say, visas would not be necessary for

any citizen from any part of the world who would like to stay in India for, say, six months. A small communist country like Yugoslavia has done it. I would request him to answer this point.

I am happy the Minister has admitted that without an oath of allegiance to national integrity and sovereignty, the oath is incomplete. I would request him to bring forward the necessary law or amending Bill as the case may be as early as possible.

**श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) :** उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ और वह यह कि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ऐसी आई है कि पूर्व अफ्रीका में जो बहुत से भारतीय लोग रहते हैं उनको भारत की सरकार के आदेश पर हमारे हाई कमिश्नर ने वहाँ के भारतीय लोगों को ब्रिटिश नागरिकता दिलवा दी, अपनी ओर से कह कर कि आपको लाभ रहेगा। लेकिन आजादी के पश्चात् वह कठिनाई में हैं। वह भारतीय नागरिक हैं, और इंग्लैंड की सरकार उन को अपने यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार यह कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उन पर जब कठिनाई आती है अधिकारों की रक्षा का प्रश्न आता है और वह भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं तो इस कानून के अनुसार यह है कि जब वह यहाँ आकर रहें पांच, छह महीने और तब वह एप्लाइ करे तब सरकार चाहे तो उनकी नागरिकता स्वीकार करे। एक एक परिवार में 5,7 आदमी रहने वाले हैं और एक आदमी के वहाँ से आने जाने में कम से कम तीन हजार रु० लगते हैं। लोगों के पास दस, बीस हजार रु० हों तब वह भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि खासतौर से इस प्रकार के परिवर्तन इस कानून में कीजिये कि जो इस प्रकार की विशेष परिस्थिति में भारतीय नागरिक जो यहाँ के रहने वाले रहें और आप के कहने पर उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ली है, उन को उसी देश में रह कर अपने हाई कमिश्नर द्वारा आप ऐसा अवसर

दीजिये जिससे वह भारतीय नागरिकता वहीं रहते हुए ले सकें। अन्यथा वह किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं ऐसी उनकी अवस्था है। जो इस समय उनको अनाथों की सी अवस्था में डाल दिया है उस अवस्था से उनको निकालने की कोशिश करना चाहिये।

दूसरी जानकारी यह चाहता हूँ कि आप के जो प्रतिज्ञा-पत्र में लिखा है "राज निष्ठा"। तो राज के अर्थ हैं सरकार निष्ठा। मैं समझता हूँ कि 'राज के' स्थान पर 'राष्ट्र' शब्द डालना चाहिए और यह इसलिए कि भारतवर्ष में एक टाइम पर एक खतरा हमारे सामने आ चुका है द्वि नेशन थ्योरी का। और अब लोगों ने यह नारा लगा दिया है 'इण्डिया इज ए कन्ट्री आफ मल्टी नेशन्स'। यह जो नारा है यह हमारे देश के एकीकरण के लिए घातक है। इसलिए 'राज निष्ठा' नहीं 'राष्ट्रीय निष्ठा' रहनी चाहिये जिस से कि यहां की संस्कृति इतिहास, सभ्यता में यहां आकर शामिल हों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 'राष्ट्रीय निष्ठा' शब्द आना चाहिये।

तीसरी चीज मैं यह ज नना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का दृष्टिकोण क्या है। और इसलिए कि इस समय जो विघटनकारी प्रवृत्ति चल रही है, लोग प्रान्तों को स्वतन्त्रता की ओर ले जाने की कोशिश में हैं औटोनामी लेकर, कहीं इंडि-पेंडेंट नागालैंड और कहीं मीजो लैंड की बात उठती है, यद्यपि वह इस समय अवश्य कुछ दबी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम आप का प्रतिज्ञा-पत्र नागरिकता के लिए ऐसा होना चाहिए कि जिससे वह इस समूचे देश की एकता में विश्वास करता हो, इस देश में विघटन की प्रवृत्ति को छोड़ कर भारतीय नागरिक बने। भारतीय नागरिक भी बन गया और यहां रहते हुए वह भारत के खिलाफ विद्रोह करे यह प्रवृत्ति नहीं चलनी चाहिए। इस बारे में मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री रवि राय : माननीय मधु लिमये जी का जवाब देते हुए मंत्री जी जो बोले तो उसमें एक बात स्पष्ट नहीं हुई। नागरिकता का

आधार जो बर्ष और डिसेंट पर आधारित है क्या उसको बढ़ा करके नागरिकता का माइन्ड और स्पिरिट पर ले जायेंगे। मंत्री जी जब इबोलें तो सको स्पष्ट कर दें।

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बहुत पहले यहां पर आ कर बस गये और अदालतों ने घोषित कर दिया है कि वे पाकिस्तानी नहीं हैं और वह यहां रह रहे हैं, उन का वोटर लिस्ट में नाम है, हजारों ऐसे केसेज हैं, लेकिन उन को अब भी सरकार के लोग रात दिन परेशान करते हैं, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को, जिनकी इन्टेगरिटी डाउटफुल नहीं है, जिनको अदालतों ने घोषित कर दिया है कि वह पाकिस्तानी नहीं हैं, उनको यहां रहने देने में सरकार को क्या दिक्कत है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ माननीय सदस्यों ने सवाल पूछे हैं, और कुछ सुभाव दिये हैं। जहां तक सुझावों का सम्बन्ध है उन पर मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकूंगा केवल उस पर विचार कर सकूंगा। जो सवाल पूछे हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो माननीय रवि राय जी ने सवाल किया उस बारे में मेरा यही कहना है कि कानून यही देखता है कि जो नियम हैं, वे पूरे हों। वह कानून दिमाग और दिल तक तो जाता नहीं है। वह तो हमको सोचना समझना पड़ता है कि जो व्यक्ति यहां का नागरिक बनना चाहता है वह भारत के प्रति वफ़ादार रहेगा या नहीं।

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN (Rampur) : Who is the person who varifies our cases ? It is a Sub-Inspector of police.

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें पता लगाना पड़ता है कि वह भारत के प्रति वफ़ादार रहेगा यदि हम को इसका आश्वासन रहता है कि वह भारत के प्रति वफ़ादार रहेगा तब उनको जो कानून में प्रक्रिया दी हुई है उसके बाद नागरिकता प्रदान करते हैं। माननीय नवाबख़ादा साहब ने पूछा कि यह चीज किस तरह से निर्धारित की जाती है कि वह भारत के

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

प्रति वफादार है। इसके लिए कई तरह की हमारे पास कार्य विधियां हैं जिस को हम काम में लेते हैं। आवश्यकता के अनुसार सूचना एकत्र करते हैं कभी-कभी अपनी एजेन्सियों के द्वारा सूचना एकत्र करने हैं और कभी कभी दूसरे ढंग से सूचनायें हमारे पास आती है। और सूचना इकट्ठा करने का काम स्थानीय अधिकारी ही करते हैं। यहां से कोई आदमी नहीं जाता है। और जो सूचना आती है उसको सोच समझ कर उससे अर्थ निकालते हैं और उस के अनुसार निर्णय लेने का काम हमारा होता है जो कि सचिवालय में बैठ कर हम लोग निर्णय लेते हैं। तो यह बात नहीं है कि स्थानीय अधिकारियों के कहने पर ही सब चीजें निर्धारित की जाती हैं उन्हें तो केवल अपने खासखास मुद्दों पर सूचना देनी पड़ती है और सूचना आने पर हम उसका विश्लेषण करते हैं और फिर तय करते हैं कि इस केस को भारत की नागरिकता देना चाहिए या कुछ समय और प्रतिज्ञा करनी चाहिये। और जब यह बात तय मानते हैं कि इसको भारत की नागरिकता देने में भारत को कोई खतरा नहीं है...

**SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN:** I am sorry to interrupt the hon. Minister. I will give you an example. Suppose a person wants to take up Indian nationality. What happens? The Government of India refer the case to the Home Ministry who will pass it on to the State Chief Secretary. Then the paper will pass through to the State Home Secretary, District Magistrate, Superintendent of Police, DSP and finally it will go to a Sub-Inspector of Police. Whatever he writes will be okayed by the DSP, SP, District Magistrate and the Home Secretary. The paper will move upwards and the application will be rejected on the basis of the police report of the Sub-Inspector.

**SHRI SHEO NARAIN Basti:** What is the harm?

श्री विद्याचरण शुक्ल: इस तरह की सूचना स्थानीय अधिकारियों के द्वारा ही इकट्ठी की

जा सकती है। इस तरह की सूचना इकट्ठी करने के लिए और किसी बड़े अधिकारी को नहीं भेजा जा सकता क्योंकि देश के विभिन्न भागों में हजारों व्यक्तियों के लिए सूचना एकत्रित करना पड़ती है। आप अगर यह मानें कि छोटा अधिकारी है तो उसका दिमाग गलत ढंग से चलेगा तो यह बात मानकर चलना ठीक नहीं है। जहां कहीं यह होता है कि स्थानीय अधिकारी...

**SHRI S. KANDAPPAN (Me'ttur):** There is a slight difference. The Minister is asking what is the harm if they depend on the local officers. But here the officers employed are police officers. Apart from police officers, will they employ some other agency or they will go entirely by the report of the police? By the very nature of their work, the police officers cannot see the goodness in a person. They always track down only criminals.

श्री विद्याचरण शुक्ल: जो माननीय सदस्य ने बात कही उसको मैं मंजूर नहीं करता। यह बात नहीं है कि केवल पुलिस अधिकारियों की ही खबर आती है। विभिन्न अधिकारियों से भी हम खबर लेते हैं। पुलिस अधिकारी भी जांच पड़ताल करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि तहसीलदार और पटवारी को जांच पड़ताल करनी पड़े। परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से जासूस विभाग के पुलिस वाले ही जांच पड़ताल करते हैं। और यह मैं नहीं कहता कि कभी स्थानीय अधिकारों स्थानीय भ्रगड़ों, राग द्वेश के कारण गलत रिपोर्ट नहीं देते होंगे। जरूर देते होंगे। तो उन गलत रिपोर्टों को हम दुबारा चैक कर सकते हैं। दुबारा हम उनके ऊपर देखभाल कर सकते हैं।

**SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN:** Excuse me. If a C.I.D. officer gives a wrong report and you get it verified, he can never change the report. If he changes the report, he will be sacked.

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** अब यह जो बातें माननीय सदस्य कह रहे हैं यह सब प्रशासनिक बातें हैं। इस में हो सकता है कि कहीं गलतियां हों तो कहीं ठीक बातें हों। मैं चाहना हूं कि आप कुछ इसके लिए ठोस सुझाव दीजिये कि किस तरीके से इस चीज को किया जाय ? इस तरह से टीका टिप्पणी करना और गलतियां बूढ़ना तो एक बहुत आसान बात है। माननीय सदस्य बतलायें कि दरअसल ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसका कि उपयोग करके हम सब गलतियां दूर कर सकते हैं। जो आज हमारी प्रक्रिया है वह मैंने आप को बतलाई। यह तो ठीक है कि उसमें हम आवश्यक सुधार करने की कोशिश करें पर इसके साथ ही हम यह नहीं कह सकते हैं जो भी काम होता है वह सब गलत होता है। यह हो सकता है कि कहीं कहीं उसमें गलतियां हों, राग, द्वेष की भावना में आकर गलत रिपोर्ट दे दी जाय जिसके कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को यहां की नागरिकता प्रदान करने में देर लगे पर साधारणतः ऐसी बातें नहीं होती हैं। लेकिन जहां भी कहीं ऐसी बातें होती हों तो वह हमारे ध्यान में लाई जाय और उस हालत में हम उन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उस में हम को किसी तरीके की आपत्ति नहीं है।

कुण्ड साहब ने तरङ तरङ की बातें कहीं। एक सुझाव उन्होंने यह भी दिया कि वीसा के बगैर हिन्दुस्तान में लोगों का आने देना चाहिए। इसके लिए मेरा कहना है कि अभी भी यहां पर जो व्यक्ति पर्यटन के लिए आते हैं उन्हें निश्चित अवधि के लिए बिना वीसा के आने को इजाजत मिलती है। वैसे हम कुछ देशों के साथ समझौता भी करने जा रहे हैं जबकि उन देशों में जाने के लिए अगर भारतीयों को वीसा नहीं लेना पड़ेगा तो उन देशों के निवासियों को भी भारत में आने के लिए वीसा नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह का समझौता हम कुछ देशों के साथ करने जा रहे हैं। उस बारे में जो हमारी बातचीत चल रही है वह काफी आगे पहुँच चुकी है और मैं

समझता हूँ कि कुछ ही दिनों के भीतर हम इस तरह के समझौते की घोषणा कर सकेंगे।

इसके सिवाय मैं नहीं समझता कि और कोई सुझाव रहते हैं जिनके कि बारे में मैंने उत्तर न दे दिया हो। जहां तक मूल प्रस्तावक के संशोधनों का सवाल है मैंने सरकार की नीति पहले ही स्पष्ट कर दी है।

**श्री ओम प्रकाश त्यागी :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है पूर्वी अफ्रीका में जो भारतीय लोग रहते हैं उनको भारतवर्ष की सरकार के आदेश पर ही हाई कमिश्नर ने वहां के उन भारतीय लोगों को ब्रिटिश नागरिकता दिलवा दी तो आज की बदली हुई हालत में उन लोगों को पुनः भारतीय नागरिक बनाने के लिए क्या प्रक्रिया आप अपना रहे हैं ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** उसके लिए प्रक्रिया हमारे कानून में लिखी हुई है और उसे मैं यहां बतला कर सदन का इस समय वक्त खराब नहीं करना चाहता। यदि वह लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और वह ब्रिटिश नागरिक हैं तो वह यहां की नागरिकता के लिए दरखास्त दें और सिटीजनशिप कानून के अन्दर भारतीय नागरिक बनने की जो प्रक्रिया लिखी हुई है यदि वह उसको चलायेंगे और जो योग्यता लिखी हुई है यदि वह उसे क्वालिफाई करते हैं तो उसके हिसाब से हम अमल करेंगे।

**श्री मधु लिमये :** मैं मंत्री महोदय द्वारा दिये गए आश्वासन के बाद सदन की अनुमति से अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ लेकिन मंत्री महोदय सिटीजनशिप आफ द माइण्ड और रिप्रेंट वाली बात सोचें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I take it he has the leave of the House to withdraw the Motion.

*The Motion was, by leave, withdrawn*